असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)
Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

सं.आरईसी/प्रशा./डायरी/2010-11 दिनांक: 22.10.2010

प्रशासन प्रभाग

आरईसी डायरी-2011 के मुद्रण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

निविदा दस्तावेज

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्यम, आरईसी डायरी-2011 के मुद्रण के लिए **'सीलबंद बोलियों'** को आमंत्रित करता है। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुबंध-1 में इंगित किए गए विनिर्देशनों के अनुसार भाव-दरों को उद्धृत करें। तकनीकी-व्यावसायिक बोली का फार्मेट अनुबंध-2 में तथा आरईसी डायरी-2011 के मुद्रण के लिए वित्तीय बोली फार्मेट अनुबंध-3 में दिया गया है।

2. बोलियों को दो भागों में - एक सीलबंद लिफाफा जिस पर **'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली'** लिखा हो और उसमें अनुबंध-2 के अनुसार फार्मेट में ब्यौरा दिया गया हो तथा अनुबंध-3 में दिए गए फार्मेट के अनुसार दूसरा सीलबंद लिफाफा जिस पर **'वित्तीय बोली'** लिखा हो, भेजा जाए। उपरोक्त अनुसार दोनों सीलबंद लिफाफों को अन्य तीसरे सीलबंद लिफाफे में बंद किया जाए, इस लिफाफे पर **'आरईसी डायरी-2011 के मुद्रण हेतु बोली' तथा 'दिनांक 03.11.2010 से पहले खोला न जाए'** लिखा हो। बोलियों पर, बोलीदाता फर्म की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए तथा उनको निम्न पते पर भेजा जाए:-

श्री ए.के.अरोड़ा,

उप महाप्रबंधक (प्रशासन),

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

नई दिल्ली-110003

3. सीलबंद बोलियों को आरईसी द्वारा 03 नवंबर 2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के उपरांत किसी बोली पर, उसकी दरों पर गौर किए बिना, विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों को उसी तारीख को अर्थात् 03.11.2010 को दोपहर 12.00 बजे बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। वित्तीय बोलियों को खोलने की तिथि के संबंध में, निर्धारित तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के मानदंडों को पूर्ण करने वाली फर्मों को अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

4. **तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दस्तावेज** के साथ रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) की जमा बयाना राशि (ईएमडी) संलग्न की जाए। जमा बयाना राशि का भुगतान, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा। ऐसी जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अपेक्षित जमा बयाना राशि के बिना प्राप्त बोली को अमान्य समझा जाएगा तथा उसे आरईसी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. जमा बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा, यदि:

   क) अगर बोलीदाता द्वारा बोली वैधता अवधि के दौरान बोली को वापस लिया जाता है।

6. सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को संविदा के कार्य निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारित किया जाएगा तथा उसे केवल संविदा की समाप्ति उपरांत वापस किया जाएगा।

7. बोली, बोली प्राप्त करने की तारीख से, 2 महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

8. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमियों के लिए वरीयता

8.1 सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों/लघु उद्योगों को निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी:-

   क) निविदा सेटों का नि:शुल्क निर्गम

   ख) बयाना राशि के भुगतान में छूट देना

   ग) आर्थिक परिसीमा तक प्रतिभूति जमा, जिसके लिए यूनिट को पंजीकृत किया गया है, की छूट

   घ) बड़े पैमाने की यूनिटों के कोटेशनों पर 15 प्रतिशत तक की मूल्य वरीयता

9. <u>दरें एवं मूल्य</u>

9.1 बोलीदाताओं को अनुबंध-3 में दिए गए फॉर्मेट अनुसार दरों को उद्धृत करना चाहिए।

9.2 सभी सांविधिक शुल्कों, करों, वैट तथा आपूर्ति के संबंध में बोलीदाता द्वारा देय अन्य शुल्कों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। उद्धृत किया गया मूल्य स्थायी होना चाहिए तथा प्रस्ताव के वैधता के दौरान दरों, मूल्यों अथवा निबंधन में कोई परिवर्तन होने पर जमा बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

9.2.1 डायरियों की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य कोई शुल्क आदि देय नहीं होगा।

10. अदायगी की शर्तें

   अदायगी, बिल प्राप्ति पर तथा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन के उपरांत एक पखवाड़े के भीतर मासिक आधार पर की जाएगी।

11. कार्य निष्पादन के लिए अनंतिम समय अनुसूची

i)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली प्रस्तावों की प्राप्ति तथा बोलियों के खुलने की अंतिम तिथि	03.11.2010
ii)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन तथा वित्तीय बोलियों का खुलना	04.11.2010
iii)	बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन तथा कार्य आदेश जारी करना	09.11.2010
iv)	मुद्रक द्वारा अभिकल्प, रूपरेखा, चार्टों तथा ग्राफों का समापन तथा डायरी-2011 की डमी प्रस्तुत करना	22.11.2010
v)	आरईसी द्वारा अभिकल्प को सुनिश्चित करना तथा मुद्रक को आखिरी मुद्रण की सामग्री सुपुर्द करना	23.11.2010
vi)	मुद्रित डायरी का प्रूफ प्रस्तुत करना तथा आरईसी द्वारा मांगे जाने पर, मुद्रक द्वारा अतिरिक्त प्रूफों की व्यवस्था करना	01.12.2010
vii)	मुद्रक को सुझाए गए परिवर्तनों के साथ मुद्रित डायरी वापस करना	03.12.2010
viii)	मुद्रित आरईसी डायरी-2011 की अंतिम सुपुर्दगी	10.12.2010

12. आपूर्ति में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी

12.1 संविदा में समय महत्वपूर्ण है। सफल बोलीदाता समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करे तथा सुपुर्दगी को सुनिश्चित करे। पूर्ण आपूर्ति की अथवा किसी अंश की अनुबंधित तारीख से पूर्व अथवा को सुपुर्दगी न कर सकने की स्थिति में, प्रति सप्ताह कुल संविदा मूल्य के 01 प्रतिशत कीमत के समान पूर्वाकलित पूर्व-निर्धारित परिनिर्धारित नुकसानी, जो कुल संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत अधिकतम होगी, अधिरोपित की जाएगी।

12.2 निर्धारित समय-सीमा के 10 दिनों के उपरांत तक इस आदेश के अनुपालन में विलंब होने की स्थिति में, आरईसी को, उक्त परिनिर्धारित नुकसानी को आरोपित करते हुए इस आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा।

13. योग्यतापूर्व मानदंड

13.1 तकनीकी-वाणिज्यिक/योग्यतापूर्व मानदंड बोली के लिए फार्मेट को अनुबंध-2 में दिया गया है।

14. सुलह/माध्यस्थम्

14.1 यदि पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है तो पार्टियां उसका समाधान एवं निपटान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आरईसी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा करेंगी।

14.2 यदि किसी एक पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के अंतर्गत भी पार्टियां आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान अथवा निपटान करने में असमर्थ हैं तो उक्त विवाद अथवा मतभेद का मामला निपटान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसीएल द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचक को भेजा जाएगा।

14.3 किसी विवाद अथवा मतभेद तथा/अथवा माध्यस्थम के लिए मामले को भेजने के बावजूद, संविदाकार को संविदा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन किसी व्यवधान के बिना, व्यावसायिक तरीके से, अध्वसाय तथा तत्परता से जारी रखना होगा। उक्त विवाद या माध्यस्थता के कारण संविदाकार को देय राशि का भुगतान नहीं रोका जाएगा जब तक कि माध्यस्थता का विषय उक्त भुगतान न हो।

14.4 माध्यस्थम् की कार्यवाही, विद्यमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 तथा समय-समय पर अधिनियमित अथवा संशोधित, भारतीय विधि के अनुसार होगी।

14.5 माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली, भारत में होगा। माध्यस्थम् की फीस एवं अन्य शुल्कों को अधिनियम के अनुसार विवाचक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

14.6 विवाचक एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण अधिनिर्णय देगा। पार्टियों को माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान वादकालीन ब्याज का अधिकार नहीं होगा।

15. अनिवार्य बाध्यता(फोर्स मेज्यूर)

15.1 अनिवार्य बाध्यता के कारण संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व के किसी एक पार्टी द्वारा निष्पादन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, ऐसी अनिवार्य बाध्यता (फोर्स मेज्यूर) से प्रभावित पार्टी के दायित्व को, ऐसे कारण के समाप्त होने की अवधि तक, निलंबित कर दिया जाएगा।

15.2 यहां पर प्रयुक्त शब्द 'अनिवार्य बाध्यता' (फोर्स मेज्यूर) से तात्पर्य दैवी घटना, युद्ध, सिविल उपद्रव, आगजनी, बाढ़ तथा आरईसी एवं संविदाकार, दोनों पार्टियों, की संबंधित सरकार के नियमों एवं विनियमों से है, जो संविदा के निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

15.3 ऐसी घटना के होने पर तथा उसकी समाप्ति पर, उसके कारण निष्पादन करने में असमर्थता का अभिकथन करने वाली पार्टी को, अनिवार्य बाध्यता की श्रेणी में आने वाले कारण के शुरू होने पर दूसरी पार्टी को लिखित में सूचित करना होगा तथा संबंधित कारण की समाप्ति का भी नोटिस दूसरी पार्टी को ऐसी घटना की समाप्ति के 72 घंटों के अंदर देना होगा।

यदि सुपुर्दगियों को अनिवार्य बाध्यता की परिस्थितियों के कारणवश 2(दो) महीनों से अधिक अवधि तक निलंबित किया जाता है तो आरईसी को, बिना किसी देयता के अपने विवेक से, संविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार है।

15.4 अनिवार्य बाध्यता के कारण निलंबित संबंधित दायित्व के निष्पादन की अवधि को, ऐसे कारण की प्रभावित अवधि के अनुसार, बढ़ा दिया जाएगा।

16 लागू नियम तथा अधिकारिता

इससे संबद्ध सभी मामलों को, दिल्ली में भारतीय न्यायालयें की अनन्य अधिकारिता के आधार पर, उस समय प्रवृत्त वास्तविक तथा कार्यविधिक, दोनों, कानून द्वारा शासित किया जाएगा।

17. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. ठेका सौंपने से पूर्व आरईसी को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा जिसमें कोई एक या सभी बोलियाँ प्राप्त होने के पश्चात् नामंजूर कर देना शामिल होगा और उस पर इसके कारण प्रभावित होने वाले बोलीदाता के प्रति किसी देनदारी का अथवा आरईसी की कार्रवाई से प्रभावित होने वाले बोलीदाता/बोलीदाताओं को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

19. आरईसी के पास, किसी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा उससे संबंधित किसी देयता के बिना, क्रयादेश दिए जाने से पूर्व बोली प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने तथा सभी बोलियों के अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

20. दस्तावेज के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:-

श्रीमती रेणु मित्तल मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं0: 43091673	श्री ए.के.अरोड़ा उप महाप्रबंधक (प्रशासन), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं0: 43091516

अनुबंध-1

आरईसी डायरी-2011 के मुद्रण के लिए विनिर्देशन

क्रमांक	मद	विनिर्देशन
1.	प्रतियों की संख्या	3500
2.	आकार	5.75" X 8.5"
3.	पृष्ठों की संख्या	मासिक प्लानर सहित 300 पृष्ठ मूल, एकल रंग में कंपनी प्रोफाइल के प्रशंसात्मक विवरण के 16 पृष्ठ, 4 रंग की लीफ प्रिंटिंग सहित 12 मासिक विभाजक।
4.	रंग/मुद्रण	मूलपाठ दो रंगों में, कंपनी प्रोफाइल, विभाजकों तथा लीफ प्रिंटिंग के लिए मुद्रण 4 रंग में, पहले पृष्ठ पर आरईसी का चिह्न (लोगो) तीन रंग में तथा शेष पृष्ठों पर आरईसी का चिह्न (लोगो) एकल रंग में और ऊपरी बाईंडिंग कवर पर आरईसी का लोगो सुनहरी रंग में।
5.	पेपर	70जीएसएम मैपलिथो पेपर
6.	बाइपडिंग	पीवीसी रेक्सिन सिलाई सहित 2एमएम बोर्ड पर हार्ड केस
7.	गत्ते के डिब्बे हेतु पेपर	एकल रंग में आरईसी चिह्न (लोगो) सहित 300 जीएसएम डुपलेक्स बोर्ड (सफेद पृष्ठभाग)

निरीक्षण के लिए डायरी की नमूना प्रति प्रंट कार्यालय, आरईसी लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली में उपलब्ध है।

अनुबंध-2

आरईसी डायरी-2011 का मुद्रण: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

1. फर्म

क) नाम _____

ख) पंजीकृत पता _____

ग) दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय का पता _____
_____

घ) संपर्क व्यक्ति का:

i) नाम व पदनाम _____

त्त) पता _____

iii) दूरभाष: लैंडलाइन _____ मोबाइल _____

iv) ई-मेल आईडी _____

2. फर्म की किस्म : प्राइवेट लि./पब्लिक लिमिटेड/सहकारी समिति/ एनजीओ/सा.क्षेत्र का उद्यम

(कृपया निशान लगाएं तथा ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियमों/निगमन के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

_____ संलग्न है।

(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

3. पैन न. : _____ (कृपया फोटो कॉपी संलग्न करें)

4. टीआईएन नं. : _____

(कृपया फोटो कॉपी संलग्न करें)

5. वैट नं0. : _____

(कृपया फोटो कॉपी संलग्न करें)

6. पिछले 4 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर :

(रू.3 लाख से अधिक होना चाहिए) **2009-10**_____

2008-09_____

2007-08_____

2006-07_____

(कृपया लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता/वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न करें)

_____ **संलग्न है। (कृपया विनिर्दिष्ट करें)**

7. पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में समान कार्य का अनुभव

समरूपी संविदाओं अर्थात् पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान मुख्य संविदाकार के रूप में रू. 2.80 लाख मूल्य की डायरी के मद्रण का एक कार्य आदेश या प्रत्येक रू. 1.75 लाख के मूल्य की डायरी के मुद्रण के दो कार्य आदेश को संभालने का वांछित अनुभव हो। अनुभव का दावा प्रस्तुत करते समय, संविदाकार को सफलतापूर्वक कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा।

_____**संलग्न है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)**

8. जमा बयाना राशि का ब्यौरा **:** डीडी नं. .....दिनांक.....

राशि रूपये **5,000/-**

----------**में आहरित**

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ----------

पदनाम ----------

मोहर**:**

अनुबंध-**3**

वित्तीय बोली के लिए फार्मेट - आरईसी डायरी-**2011**

(राशि रपयों में)

क्रमांक	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल मूल्य	कर एवं शुल्क*	**कुल मूल्य (करों एवं शुल्कों सहित)***
1.	अनुबंध-1 के विनिर्देशों के अनुसार 3,500 आरईसी डायरी-2011 के निर्माण एवं मुद्रण के लिए प्रभार (कागज की लागत को छोड़कर)	3,500				
2.	प्रशंसात्मक विवरण/फोटोग्राफ के $\pm$ 4 पृष्ठों की अतिरिक्त लागत					
3.	कर, यदि कोई हो तो					
4.	अन्य प्रभार, यदि कोई हो तो					

(*)अतिरिक्त कोई सेवा कर अथवा अन्य किसी कर, जिसे यहां शामिल नहीं किया गया है, के संबंध में आरईसी द्वारा किसी भी खाते से प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

फर्म निविदा दस्तावेज में निहित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करती है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ----------

पदनाम ----------

मोहर: